



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 43 राँची, शुक्रवार, 17 माघ, 1947 (श०)
6 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 जनवरी, 2026

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-14/2023(खण्ड)का० 456--श्री रुक्मकेश मिश्र, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-14/स्था०, दिनांक-15.01.2014 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री मिश्र के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया

आरोप सं०-1- डोमचाँच अंचल अंतर्गत तराई मौजा (थाना सं०-10) की सभी भूमि खाता सं०-1 अंतर्गत आता है, जिसका कुल रकबा 543.10 एकड़ है तथा इस मौजा में मात्र 10 ही प्लॉट हैं। इसमें से प्लॉट सं०-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 9 जो सर्वे खतियान में गैर मजरूआ जंगल के रूप में दर्ज हैं, को बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-CIP-F/10181/53-4797-R, दिनांक-08.12.1953 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। इस वन भूमि का कुल रकबा 531.00 एकड़ है। शेष 3 प्लॉट 7, 8 एवं 10 गैर मजरूआ नाला है, जिसका पूरा रकबा 12 एकड़ है, जो आज भी नाला के रूप में मौजूद है। पंजी-॥ में इस मौजा के कुल रकबा 543.10 एकड़ में से 439.50 एकड़ भूमि की जमाबंदी अब्दुल रजाक खाँ वल्द कादिर खाँ, साकिन तराई, हजारीबाग जिला के नाम से जमाबंदी सं०-56/01 पर दर्ज है, जिसका लगान

340/-रूपये अंकित है। जमाबंदी कायम करने के प्राधिकार कॉलम का उल्लेख नहीं है। जमाबंदी पर लिखावट नहीं है और पुरानी लिखावट से भिन्न है। अतः यह स्पष्ट है कि बिना वैध आदेश एवं आधार के फर्जी एवं कूटरचित जमाबंदी सं0-56/01 कायम कर पंजी-॥ में जोड़ी गयी एवं फर्जी रसीद निर्गत किया गया। इस फर्जी जमाबंदी में सिर्फ या तो पूरी तरह से वनभूमि या वन भूमि के साथ-साथ नाला की भूमि सम्मिलित है। आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में पंजी-॥ की जमाबंदी सं0-56/01 के संबंध में लिखा गया है कि यह वर्ष 1963-64 से ही कायम है। यदि यह मान भी लिया जाय कि जमाबंदी आपके पदस्थापन के पूर्व से कायम थी तो आपको एल०पी०सी० निर्गत करने एवं टाटा स्टील के प्रबंधन को पत्र लिखने के पूर्व पूरी तरह छानबीन करने का अवसर था एवं गलत पाए जाने पर इसे रद्द किये जाने की कार्रवाई की जानी थी, जो आपके द्वारा आज तक नहीं किया गया। इस जमाबंदी में मात्र वर्ष 1963-64 लिखने से यह जमाबंदी उस समय की हो जाएगी यह सही नहीं है। इसे जारी रखकर एवं इसके आधार पर गलत एल०पी०सी० निर्गत कर तथा टाटा स्टील लि० के प्रबंधक को गलत तथ्य प्रतिवेदन कर आपने जालसाज की भूमिका निभाई है।

आरोप सं०-2(क)- आपके द्वारा स्व० अब्दुल रज्जाक खान के पुत्रपुत्रियों यथा राजीव खान, राजू खान, संजीव खान, अख्तर खान, जैबून निशा, अलमुन निशा, असगरी खातुन, मुन्नी खातुन, मंजूर खान, शमलुल निशा एवं मुन्ना खान के नाम से 427.00 एकड़ भूमि का 11 एल०पी०सी० निर्गत किया गया है। इसे निर्गत करने के लिए आपके द्वारा फर्जी जमाबंदी 56/01 का हवाला तो दिया गया है, परन्तु सही प्लॉट संख्या के स्थान पर अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक प्लॉट (11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 19) दर्ज करते हुए उसमें गैर मजरूआ नाला के प्लॉट संख्या 7, 8 एवं 10 को भी सम्मिलित कर दिया गया है। निर्गत सभी एल०पी०सी० में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि “जमीन अब्दुल रज्जाक खान को हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है एवं उनके नाम पर अंकित है। जमीन गैरमजरूआ खास खाते की है। आवेदक जोत आबाद कर रहे हैं एवं उनका दखल कब्जा है। अंचल निरीक्षक के सत्यापन पर आपके द्वारा एल०पी०सी० निर्गत किया गया है। यह स्पष्ट है कि अस्तित्वहीन भूमि के आधार पर आपके द्वारा निर्गत किया गया एल०पी०सी० अवैध है। साथ ही गैरमजरूआ खास नाला के लिए भी एल०पी०सी० दिया जाना नियम विरुद्ध है।

आरोप सं०-2(ख)- स्व० अब्दुल रज्जाक खान के सभी पुत्रपुत्रियों के नाम आपने अलग-अलग एल०पी०सी० निर्गत किए हैं, जिसमें आपके द्वारा प्रत्येक पुत्र अथवा पुत्री को भूमि का बराबर-बराबर हिस्सा (38.81 एकड़) प्रतिवेदित किया गया है, जबकि बंटवारा का कोई भी दस्तावेज आवेदकों के द्वारा नहीं दिया गया है। स्पष्ट है कि यह आपके स्तर से स्वतः लिया गया निर्णय है, जो कि मुस्लिम **Personal Law** के प्रावधानों के विपरीत है।

आरोप सं०-3- प्रश्नगत जमाबंदी में वर्ष 58-59 से 64-65 तक की माँग एक साथ दिखलाया गया है। वर्ष 1963-64 से 1992-93 तक की अवधि के लिए अंकित 6 रसीदों को डोमचाँच अंचल के लिए निर्गत रसीद बही से नहीं काटी गई है। सभी 6 रसीद किस रसीद बही से लेकर काटे गए हैं एवं कहाँ के हैं स्पष्ट नहीं है। 1999 से लेकर 2011 तक तीन रसीदों के माध्यम से लगान की वसूली की गई है। दो लगान रसीद हल्का नं०-III के लिए निर्गत बही से एवं एक रसीद हल्का नं०-VIII के लिए निर्गत बही रसीद से लिया गया है, जबकि तराई मौजा हल्का नं०-XII में पड़ता है। इस प्रकार अन्य हल्कों के लिए निर्गत रसीद बही से तराई मौजा (हल्का नं०-XII) के लिए निर्गत की गई। आपने अपने स्पष्टीकरण में भी लिखा है कि तीनों रसीदों के माध्यम से 8,780/- (आठ हजार सात सौ अस्सी) रु० की वसूली की गई मालगुजारी को

सरकारी खजाने में जमा करने का कोई प्रमाण नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि बिना वैध आदेश एवं आधार के फर्जी जमाबंदी संख्या-56/01 कायम कर पंजी-11 में जोड़ी गई एवं **fictitious amount** के लिए फर्जी रसीद निर्गत किया गया है। आपने एल०पी०सी० निर्गत कर एवं टाटा स्टील लि० के प्रबंधक को प्रतिवेदित कर उक्त फर्जी लगान रसीदों को असली लगान रसीद के रूप में मान्यता दी है।

आरोप सं०-4- डोमचाँच अंचल द्वारा स्व० अब्दुल रज्जाक खान के 11 पुत्र-पुत्रियों के नाम से 427 एकड़ भूमि का 11 एल०पी०सी० निर्गत किया गया है। इन सभी एल०पी०सी० में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "जमीन अब्दुल रज्जाक खान को हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है एवं उनके नाम पर अंकित है। जमीन गैर मजरूआ खास खाते की है। आवेदक जोत आबाद कर रहे हैं एवं उनका दखल कब्जा है। यह स्पष्ट है कि अस्तित्वहीन भूमि के फर्जी हुकुमनामे के आधार पर गैर मजरूआ खास नाला के लिए एल०पी०सी० अवैध तरीके से निर्गत कर इसे जायज ठहराया गया है।

आरोप सं०-5- आपके द्वारा दिनांक 18.08.2012 की तिथि में 439.50 एकड़ जमीन का एक शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित भू-खण्ड का वाद संख्या-56/66-67 दर्ज है। शुद्धि पत्र में प्लॉटों का विवरण 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19 एवं 10 दर्ज है। अंचल में 56/66-67 से संबंधित कोई अभिलेख नहीं है तथा यह एक काल्पनिक वाद संख्या है। इस फर्जी नामांतरण वाद संख्या के 47 वर्ष बाद एक अवैध शुद्धि पत्र जानबूझकर पूर्व की तिथि से निर्गत किया गया। नामांतरण वाद के बाद शुद्धिपत्र तत्काल निर्गत किया जाता है। इस मामले में 47 वर्ष के बाद शुद्धिपत्र का निर्गत किया जाना स्वयं ही संदेह का कारण है। इस बात को आपको सहज रूप से समझनी चाहिए थी और इसको जाँचोपरांत रद्द करना चाहिए था, परन्तु इस पूरे प्रकरण में आप खामोश रहे तथा कार्रवाई करने की बात तो दूर रही आपने किसी भी कर्मचारी, अंचल निरीक्षक अथवा कार्यालय के संबंधित लिपिक से भी पूछताछ करना आवश्यक नहीं समझा। इस प्रकार आपने अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वहन नहीं किया है।

आरोप सं०-6- अस्तित्वहीन भूमि के हस्तांतरण के लिए निबंधन कार्यालय द्वारा जिन कागजातों को आधार बनाया गया है, उनमें से निम्नांकित कागजात आपके कार्यालय से निर्गत किये गये हैं- (i) एल०पी०सी०, (ii) अंचल अधिकारी, डोमचाँच का पत्रांक-388, दिनांक 05.08.2013, (iii) अंचल अधिकारी, डोमचाँच का पत्रांक-193, दिनांक 09.04.2013, (iv) नामांतरण शुद्धि पत्र निर्गत तिथि दिनांक 18.08.2012 एवं (v) लगान रसीद संख्या-5728883. इस प्रकार आप अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक भूमि के बिक्री में सहयोग देने एवं विक्रेताओं को अवैध रूप से प्राप्त हुए ₹ 4.78 करोड़ की राशि के बंदरबॉट में शामिल होने के दोषी है। साथ ही आप आपराधिक लापरवाही एवं आपराधिक षडयंत्र के भी दोषी है।

आरोप सं०-7- उपायुक्त, कोडरमा के ज़ापांक-2620/गो०, दिनांक 29.09.2011 एवं ज़ापांक-2856/गो०, दिनांक 09.11.2011 के द्वारा निर्गत आदेश से जिले के सभी अंचलों के किसी भी मौजे में सरकारी भूमि / गैरमजरूआ भूमि का फर्जी और जाली हुकुमनामों के आधार पर फर्जी और जाली हस्तांतरण नामांतरण, लगान निर्धारण, जमाबंदी, लगान रसीद निर्गमन पर रोक लगा हुआ था। एल०पी०सी० में कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दिया था कि यह गैर मजरूआ खास भूमि है। उपायुक्त, कोडरमा के उपरोक्त आदेश में यह भी निदेशित था कि भूतपूर्व जमींदारों के हुकुमनामों के आधार पर कायम अवैध जमाबंदियों की जाँच कर अंचल अधिकारी उसे रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। गैर मजरूआ खास सहित अन्य सरकारी भूमि के अवैध रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु उपायुक्त, कोडरमा द्वारा कई मासिक

राजस्व बैठकों में निदेश दिया गया था। यह भी निदेशित किया गया था कि प्रथम दृष्ट्या बड़े रकबे की कायम संदिग्ध जमाबंदी को प्राथमिकता के आधार पर रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। उक्त निदेश के आलोक में अपर समाहर्ता, कोडरमा की अध्यक्षता में विशेष शिविर का भी आयोजन किया गया था। तराई मौजा के 439.50 एकड़ भूमि पर कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु आपके स्तर से कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। यह प्रमाणित करता है कि उक्त अवैध रूप से कायम जमाबंदी की आपको भलीभांति जानकारी थी एवं उक्त जमाबंदी को कायम रखने में आपकी मिलीभगत थी एवं आपका संरक्षण प्राप्त था। यह आवश्यक था कि इसकी पूरी जाँच आपके स्तर से की जाती, परन्तु उपायुक्त के उपरोक्त आदेश के बावजूद आपके द्वारा प्रसंगाधीन अवैध एवं फर्जी जमाबंदी को कायम रखा गया और उसे रद्द करने की कोई कार्रवाई आपके द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार आप उपायुक्त के आदेश के अवहेलना कर अनुशासनहीनता के दोषी हैं।

आरोप सं०-8- आपके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-388, दिनांक 05.08.2013 से मेसर्स टाटा स्टील लि० के मैनेजर को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उपलब्ध कराई गई सूचना "मौजा तराई थाना नां० 10 में अब्दुल रज्जाक खान का नाम पंजी॥ के पृष्ठ 56/01 पर अंकित है एवं एल०पी०सी० निर्गत है तथा यह जमीन भूदान एवं भूहदबंदी से बाहर है एवं सार्वजनिक प्रस्ताव से मुक्त है तथा मालगुजारी नियमित दिया जा रहा है, जिसका खाता संख्या 01 एवं प्लॉट संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 10 का कुल रकबा 439.50 एकड़ जमीन अनेक रैयत के नाम से जमाबंदी कायम है एवं दखल कब्जा में है" पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है, जो आपके द्वारा जानबूझकर अपने स्तर से जालसाजी एवं धोखा देने के नीयत से दिया गया। इस प्रकार आपने टाटा स्टील लि० के प्रबंधक को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत फर्जी जमाबंदी, फर्जी रसीद के आधार पर गलत सूचना दिया।

आरोप सं०-9- फर्जी जमाबंदी के आधार पर अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक भूमि का अवैध तरीके से एल०पी०सी० निर्गत करने एवं सूचना अधिकार अधिनियम के तहत गलत सूचना देकर विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले 4.78 करोड़ राशि के बंदरबांट में शामिल होने के आप दोषी हैं, जो कि जालसाजी, धोखाधड़ी, कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, आपराधिक षड्यंत्र एवं नैतिक पतन का परिचायक है, यह सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

2. श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय आदेश सं०-3160, दिनांक 31.03.2014 द्वारा श्री मिश्र को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-3247, दिनांक 04.04.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-366, दिनांक 31.07.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-5 और 9 को छोड़कर सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री मिश्र के विरुद्ध प्राप्त आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु इनकी परीक्ष्यमान अवधि को समाप्त कर सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-3084, दिनांक 11.04.2016 द्वारा श्री मिश्र से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा इसके लिए

स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् श्री मिश्र के पत्रांकशून्य, दिनांक 24.09.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

5. श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, यह पाया गया कि श्री मिश्र द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य या साक्ष्य समर्पित नहीं किया है।

6. समीक्षोपरांत, श्री मिश्र को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत प्रमाणित आरोपों हेतु सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय को माननीय मुख्य (विभागीय) द्वारा अनुमोदित किया गया।

7. उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक-3213, दिनांक 17.03.2017 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री मिश्र को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये जाने पर सहमति की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1182, दिनांक 16.05.2017 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। तत्पश्चात् मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.06.2017 में श्री मिश्र को सेवा से बर्खास्त किये जाने के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

8. तदनुसार, विभागीय संकल्प सं0-7244, दिनांक 16.06.2017 द्वारा श्री मिश्र को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

9. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 4781/2017- Rukma Kesh Mishra Vrs. The State of Jharkhand and Others दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2023 को पारित आदेश में अधिरोपित दण्ड को समाप्त कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"6. Nothing has been brought on record to show nor it has been argued by learned Sr. Counsel appearing for the petitioner that the proceeding is fallacious and ample opportunity of hearing was not provided to the petitioner and/or in complete violation of cardinal principles of natural justice the impugned order has been passed rather the technical issue has been raised regarding approval of Chargesheet by the competent authority. Learned Sr. Counsel has however argued that the maximum punishment has been awarded to the petitioner which is not at all justified and the respondents failed to assign any reason for differing from the findings of the enquiry officer. However, this Court is of the view that the entire proceeding is not vitiated and as such liberty is reserved with the respondents - State of Jharkhand to take appropriate action, if required, in accordance with law giving ample opportunity to the petitioner.

7. As a sequitur to the aforesaid rule, guidelines and judicial pronouncements, the impugned order as contained in Memo No. 5/RO-1-524/2014-Ka-7244, Ranchi dated 16.06.2017, is hereby quashed and set aside and petitioner be reinstated in service with all consequential benefits.

8. The writ petition stands allowed with aforesaid observations and directions."

10. मा० न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA 572 of 2023 The State of Jharkhand and Others Vrs. Rukma Kesh Mishra दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक 24.11.2023 को पारित न्यायादेश में उक्त LPA को Dismissed कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"15. Having considered the writ Court's order in the light of the aforesaid facts, we do not find any ground to interfere with the order dated 20th April 2023 passed in WP(S) No. 4781 of 2017 and, accordingly, L.P.A No.572 of 2023 is dismissed."

11. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil Appeal No. of 2025 (Arising out of SLP (C) No. 19223 of 2024)- The State of Jharkhand and Others Vrs. Rukma Kesh Mishra में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पारित न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है

"43. The impugned order of the Division Bench as well as the judgment and order of the Single Judge are set aside, resulting in the respondent's writ petition on the file of the High Court being dismissed.

44. However, considering the fact that the charge-sheet was interdicted by the High Court, at both tiers, on the ground of jurisdictional error and the respondent might not have pursued the appellate/revisional remedy provided under the 1930 Rules/2016 Rules labouring under a misconception that he was forced to face proceedings and answer a charge-sheet which did not have the approval of the competent authority, we grant him liberty to appeal against the impugned order of dismissal or to seek a revision there of by filing an appeal/memorial, whichever is permissible under the relevant Rules, within a period of one month from the date of pronouncement of this judgment. If an appeal/revision is presented by the respondent before the competent appellate/revisional authority within such period, the same shall be decided on merits and in accordance with law, as early as possible, waiving the bar of limitation. All points except the point of validity of the charge-sheet, decided by us, are kept open.

45. The appeal, accordingly, stands allowed. Parties shall, however, bear their own costs."

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मिश्र द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया गया है, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-1259, दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

13. श्री मिश्र द्वारा अपील अभ्यावेदन में समर्पित मुख्य तथ्य निम्नवत् है
- (क) संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-5, 6 एवं 9 से मुक्त किया गया है।
- (ख) आरोप के समानुपातिक दण्ड नहीं देकर नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया गया है।
- (ग) संबंधित मामले के असली गुनाहगार राजस्व कर्मियों एवं पदाधिकारियों को दंडित नहीं किया गया है। जिस राजस्व कर्मियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा गलत अभिलेख तैयार किया गया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। वे अभी भी कार्यरत हैं तथा उन्हें प्रोन्नति प्रदान की गयी है।
- (घ) श्री मिश्र द्वारा अपील अभ्यावेदन में समर्पित तथ्यों के आलोक में सेवा में पुनर्बहाल करने एवं सभी परिणामी लाभ का भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

14. श्री मिश्र द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री मिश्र द्वारा अपील अभ्यावेदन में कोई तथ्यात्मक बिन्दु अंकित नहीं किया गया, बल्कि उन्हीं सभी बातों को रखा गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान बचाव बयान एवं विभाग द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों पर विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में विवेचना करते हुए आरोप को प्रमाणित पाया है तथा निष्कर्ष में अंकित करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त सभी तथ्यों के समीक्षोपरांत ही उन पर बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित की गई है।

15. समीक्षोपरांत, श्री मिश्र द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-7244, दिनांक 16.06.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को यथावात् रखने संबंधित प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 09.01.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री रुक्मकेश मिश्र, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, डोमचाँच, कोडरमा, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-7244, दिनांक 16.06.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को यथावात् रखा जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रुक्मकेश मिश्र, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
